भागीदारी जन सहयोग समिति (पंजी.) एवं ह्यूमन फाउंडेशन, के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

8 एवं 9 मार्च, 2019

'' राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ़ बढ़ते हुए साइबर अपराध, उपाय एवं रोकथाम''

"Increasing Cyber Crime Against Women in Delhi, Solutions and Preventions"

भाषा माध्यम : हिन्दी एवं अंग्रेज़ी

गोष्ठी हॉल, एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

सह आयोजक (तकनीकी सहायता) : स्कूल ऑफ मास कम्यूनिकेशन एमिटी विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं उदिशा (पंजी) सामाजिक संस्था

सह आयोजक (शैक्षिक सहायता) साहित्य संचय प्रकाशन

मीडिया पार्टनर TRP

संगोष्ठी की अवधारणा

यूँ तो साइबर अपराध कई प्रकार से समाज को दूषित व बाधित कर रहे हैं, जो समाज को गिरा रहे हैं। उन्नति के बढ़ते कदम कब अवनति की ओर हावी हो गए, आभास ही नहीं हुआ और कब ये ज्ञान का माध्यम बन गया, साइबर अपराध। साइबर अपराध कई प्रकार से किए जाते है जैसे स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की निजी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र बनाए रखना। अपराधों का बाज़ार भी हर पल गरम हो रहा है। अपराधी अपने लिए एक सुविधाजनक, सरल व सहज शिकार ढूँढ़ रहा है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी हैरान और परेशान कर देने वाला है। जुर्म के नए आंकड़े आज राजधानी में महिलाओं की स्थिति को चिंताजनक बता रही है। ये विषय राजनीति के लिए नहीं बल्कि नई रणनीति के लिए है। इस विषय के अंतर्गत दिल्ली की महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करना होगा कि महिलाएँ किस प्रकार इन अपराधों से बच सकती हैं। अपराधी की मानसिकता को समझकर वह कैसे प्रतिकूल स्थिति का सामना कर सुरक्षित ज़ोन में रह सकती हैं। साइबर अपराध का विवरण करने हेतु संकल्पना, प्रकृति, व्यापकता, विशेषताएँ, जागरुकता एवं विविध रूपों में वर्गीकरण का अध्ययन करना ही हमारा ध्येय है।

शोध पत्र को तैयार करते समय निम्नलिखित उप विषयों को सम्मिलित करें:-

- साइबर बुलिंग एवं इससे बचाव
- साइबर हैकिंग
- सामाजिक नेटवर्क साइटों पर अफवाह
- सोशल नेटवर्किंग साइट और साइबर क्राइम
- पोर्नोग्राफ़ी
- साइबर स्टॉकिंग
- साइबर अपराध की रोकथाम में सफलता की कहानी
- दिल्ली में साइबर अपराध : वर्तमान परिदृश्य में
- अन्य साइबर अपराधों से बचाव दिल्ली में साइबर अपराध का आँकड़ा
- इज़राइल की तकनीक, योगदान और प्रयास विषय से संबंधित अन्य विमर्श

संपर्क :

ईमेल– nationalconferenceiwd932019@gmail.com

विजय गौड़ महासचिव भागीदारी जन सहयोग समिति

(वाट्सअप नंबर) 9650065373

नीरजा चतुर्वेदी मीडिया को-आर्डिनेटर भागीदारी जन सहयोग समिति

मोबाइल नंबर 9873330289

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर भागीदारी जन सहयोग समिति (पंजीकृत) एवं ह्यूमन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 8 एवं 9 मार्च, 2019 को राजधानी दिल्ली के गोष्ठी हॉल, एन. डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 समीप जन्तर मंतर में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

सह आयोजक (तकनीकी सहायता) : स्कूल ऑफ मास कम्यूनिकेशन एमिटी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं उदिशा (पंजीकृत) सामाजिक संस्था

सह आयोजक (शैक्षिक सहायता) : साहित्य संचय प्रकाशन

संगोष्ठी का विषय है : राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ़ बढ़ते हुए साइबर अपराध, उपाय एवं रोकथाम

उक्त विषय पर शोध पत्र आमंत्रित हैं। इस संदर्भ में कृपया निम्न जानकारी का अवलोकन करें :

1 शोध पत्र 31 जनवरी, 2019 तक ईमेल– nationalconferenceiwd932019@gmail.com पर भेजने आवश्यक हैं।

2 मौलिक शोध पत्र की अधिकतम शब्द संख्या 1800–2000 शब्द।

3 भाषा का माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेज़ी होगा।

4 शोध पत्र कृतिदेव 010, मंगल, वाकमेन चाणक्य 901–95, यूनिकोड अथवा टाइम्स न्यू रोमन में वर्ड फाइल में भेज सकते हैं। (पी.डी.एफ. फाइल एवं स्कैन फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।)

5 चयन किए गए शोध पत्र **ISBN** अंकित पुस्तक में शामिल किए जाएँगे।

6 चयन किए गए शोध पत्रों में से श्रेष्ठ 10 शोध पत्रों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा तथा श्रेष्ठ दो शोध पत्रों को पुरस्कृत किया जाएगा।

7 संगोष्ठी में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क शोध पत्र स्वीकृत होने के बाद (7 फरवरी, 2019) ही लिया जाएगा।

8 पंजीकरण शुल्क – प्राध्यापक : रुपये 900/, शोधार्थी : रुपये 700/

9 प्रशस्ति पत्र केवल उन्हीं प्रतिभागियों को दिए जाएँगे, जो निर्धारित समय तक शुल्क जमा करवा देंगे तथा संगोष्ठी में भाग लेंगे।

10 शोध पत्र के अंत में अपना पूरा नाम, घर एवं कॉलेज का पता पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर, वट्सएप मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता अवश्य लिखें अन्यथा इसके अभाव में शोध पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।

11 शोध पत्र में दिए गए तथ्यों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगा। शोधपत्र को किसी भी रूप में प्रयोग करने का अधिकार आयोजन समिति को होगा।